न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 243/2017 एल.आर. एक्ट (हनुमानगढ)

ईशरराम पुत्र श्री तिलाराम जाति नायक निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज.)

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः 1. श्री संतनाथ योगी – अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 23–04–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 18–10–2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू –राजस्व अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर कृषि भूमि चक 2 एल के एस के पत्थर नं. 28/275 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टेयर कुल 0.125 हैक्टेयर गैर मुमकिन खाला का अंकन राजस्व रिकार्ड से हटाकर अपीलान्ट के नाम से भूमि दर्ज करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 2 एल के एस के पत्थर नं. 28/275 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टेयर कुल 0.125 हैक्टेयर गै.मु. खाले का अंकन निरस्त कर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद कर आदेश की प्रति तहसीलदार पीलीबंगा को भी भिजवाने के आदेश दिये गये। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने अपने रिव्यू आदेश दिनांक 18.10.17 के द्वारा प्रकरण में शिकायत प्राप्त होने पर पत्रावली को पुन पेशी मे लेकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.9.17 को अपास्त कर पूर्व की स्थिति

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बहाल करने के आदेश प्रदान किये जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मिमो पर अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस के दौरान कंहा कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू –राजस्व अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर कृषि भूमि चक 2 एल के एस के पत्थर नं. 28/275 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टेयर कुल 0.125 हैक्टेयर खाला का अंकन गलत हो गया जिसका शुद्विकरण कर अपीलान्ट के नाम से भूमि दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन का किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 2 एल के एस के पत्थर नं. 28/275 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टेयर कुल 0.125 हैक्टेयर गै.मु. खाले का अंकन निरस्त कर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जो मैरिट के आधार पर दिया गया था जिसमे हस्तक्षेप की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नही थी परन्तु अधीनस्थ नयायालय ने अपने ही रिव्यू आदेश दिनांक 18.10.17 के द्वारा पूर्व आदेश 27.9.17 को अपास्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र के अनुक्रम मे रेस्पोडेन्ट को तलब कर तथा सहायक अभियंता जल संशाधन उपखण्ड पीलीबंगा से सबधित खाला की जांच रिपोर्ट लेकर खाला का अंकन निरस्त किया था। अधीनस्थ न्यायालय को सुओमोटो रिव्यू करने का किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नही था। केवल राजस्थान सम्पर्क पर शिकायत होने पर स्वय प्रेरणा से रिव्यू किया है जो विधि सम्मत आदेश नही है। रिव्यू का स्कॉप बहुत ही सीमित होता है न्यायालय के आदेश ने एरर ऑन द फेस ऑफ रिकार्ड हो अथवा गेलेरिग मिस्टेक हो, जिसके आधार पर ही पक्षकार द्वारा न्यायालय के समक्ष रिव्यू का प्रार्थना पत्र पेश करके कार्यवाही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यू आदेश दिनांक 18.10.17 को पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस नही दिया था, और ना ही सुनवाई का अवसर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिया। सारी कार्यवाही एकतरफा तौर पर की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ का रिव्यू निर्णय दिनांक 18–10–2017 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में 2008 (2) RLW पृष्ठ 1834, तफजिल अहमद बनाम राज. हाउसिग बोर्ड का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस कर कहा कि वहा मौके पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है तथा बिना कनवर्जन के कार्यवाही की जा रही है अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने आदेश दिनांक 18.10.17 द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 27.9.17 को अपास्त कर पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश प्रदान किये जो सही है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियों एवं न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है :–

अपीलान्ट ने अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने अपने आदेश दिनांक 27.9.17 द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 2 एल के एस के पत्थर नं. 28/275 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टेयर कुल 0.125 हैक्टेयर गै.मु. खाले का अंकन निरस्त कर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये तथा सहायक अभियंता जल संशाधन उपखण्ड पीलीबंगा से सबधित खाला की जांच रिपोर्ट लेकर खाला का अंकन निरस्त किया था। परन्तु अधीनस्थ नयायालय ने अपने ही रिव्यू आदेश दिनांक 18.10.17 के द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 27.9.17 को अपास्त कर दिया ।

न्यायालय के अनुसार अपीलान्ट के खिलाफ राजस्थान संपर्क पर शिकायत हुई कि चक 2 एल के एस के पत्थर नं. 28/275 के किला नं. 1 ता 5 में गै.मु. खाले की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अवैध कॉलोनी काटकर कर विक्रय करने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबध मे अपीलान्ट द्वारा भी उक्त भूमि पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही अथवा नही काटी जा रही हे अपनी बहस में नही बताया और ना ही अपने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपील मीमो पर कुछ लिखा है। सर्वप्रथम अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 भू –राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 2 एल के एस के पत्थर नं. 28/275 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टेयर कुल 0.125 हैक्टेयर गैर मुमकिन खाला का अंकन राजस्व रिकार्ड से हटाकर अपीलान्ट के नाम भूमि दर्ज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 2 एल के एस के पत्थर नं. 28/275 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टेयर कुल 0.125 हैक्टेयर गैर मुमकिन खाले का अंकन निरस्त कर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये, जबकि उपरोक्त विधिक प्रावधान के परिपेक्ष्य मे देखा जावे तो भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत वही गलती शुद्व हो सकती है जो लिपिकीय गलती हो जिसे दुरूस्त की जा सकती है। धारा 136 में खाले का अंकन निरस्त कर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज नही की जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम पारित निर्णय दिनांक 27.9.17 निरस्त योग्य है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर विवेचन न कर मात्र संपर्क पोर्टल की शिकायत को आधार मानते हुवे अपने आदेश दिनाक 27.9.17 को निरस्त किया है जो उचित नही है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा पारित दोनो आदेश दिनांक दिनांक 18.10.17 एवं दिनांक 27.9.17 को खारिज किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 23–04–2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।